सं0-57/2021/494/23-12-2021-ई0एफ0 36/2021

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत 23 कार्यों के पुनर्वैधिकरण के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय सड़क निधि योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 23 कार्यों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं0-1075/23-12-2021-573/18, दिनांक 29.01.2021 एवं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं0-एन0एच0-28014ध/02ध/2017/यू0पी0/सी0आर0एफ0/जोन-1, दि0 20.04.2021 द्वारा प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नियोजन वर्ग के पत्रांक-144नि0/ सी0आर0एफ0ध/2021-22, दिनांक 07.06.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सड़क निधि योजनान्तर्गत 23 कार्यों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य के लिये कुल रू0 49395.38 लाख (रू0 चार अरब तिरान्वे करोड़ पंचान्वे लाख अड़तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विवरण तालिका के क्रमांक-7 में अंकित उक्त कार्यों हेतु रू0 80.00 करोड़ (रूपये अस्सी करोड़ मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। परियोजना का विवरण निम्नवत है :-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रम सं0	**खण्ड /जनपद का नाम**	**कार्य का नाम**	**मार्ग की श्रेणी**	**लम्बाई (किमी0 में)**	**स्वीकृत लागत**	**2021-22 में आवंटित धनराशि**
1	2	3	4	5	6	7
1	नि0ख0-1 पीलीभीत	ईटगावं बमरौली मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	11.00	1992.52	321.90
2	नि0ख0-1 पीलीभीत	बिलसण्डा बमरौली तिल्छी करैली मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	20.40	3071.71	496.25
3	प्रा0ख0 बदायूँ	दातागंज उसहैत मार्ग (प्र0जि0मा0सं0-25) के चैनेज	प्र0जिला0मा0	11.35	1900.00	306.95

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

		18.000 से 18.400 में सुदृढ़ीकरण एवं 18.700 से 29.650 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य				
4	नि0ख0 बदायूँ	बी0के0 के मार्ग से अहमदनगर असौली मिर्जापुर सोरहा होते हुये भूढ खितौरा मार्ग कि0मी0 1 से कि0मी0 12 (500) में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	10.60	1104.73	178.47
5	प्रा0ख0 संतकबीरनगर	टड़वरिया समोगर मेंहदूपार अन्य जिला मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	15.00	2628.53	424.65
6	प्रा0ख0 संतकबीरनगर	मुहियापुल घूरापाली अन्य जिला मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (चैनेज 0.000 से 18.000) का कार्य	अ0जि0मा0	18.00	3033.94	490.14
7	प्रा0ख0 कानपुर देहात	रूरा-बनीपारा-मिण्डाकुवा मार्ग (अ0जि0मा0) का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य कि0मी0 1 से 20 तक	अ0जि0मा0	20.00	2855.04	461.24
8	प्रा0ख0 रायबरेली	महाराजगंज-दुसौती- निगोहा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदढ़ीकरण का कार्य।	अ0जि0मा0	15.00	2929.09	473.20
9	नि0ख0-2 नजीबाबाद बिजनौर	राष्ट्रीय राजमार्ग 734 से शाहपुर जमाल हसनपुर होते हुये सुआवाला सुरजनगर मार्ग तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	13.45	2859.23	461.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	प्रा0ख0 रामपुर	अहरो बंगाली कॉलोनी मार्ग (अ0जि0मा0 19) का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	22.60	2798.98	452.19
11	नि0ख0 रामपुर	पटवाई मिलक मार्ग चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य (चैनेज 0.000 से 14.760 तक)	अ0जि0मा0	14.76	2206.90	356.53
12	नि0ख्0-2 बिजनौर	नजीबाबाद नगीना वाया नानकार बुन्दकी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	प्र0जि0मा0	21.00	3103.43	521.37
13	प्रा0ख0 गौतमबुद्ध नगर	सिकन्द्राबाद दनकौर मार्ग के कि0मी0 1 से 18 (700)तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (हार्ड पैव्ड शोल्डर का कार्य)	अ0जि0मा0	17.70	2963.12	478.70
14	प्रा0ख0 इलाहाबाद	बड़ोखर-रत्यौरा-महुआवं मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य (चै0 0.000 से 11.865)	अ0जि0मा0	11.865	878.15	141.87
15	प्रा0ख0 जौनपुर	खुटहन पट्टी समोधरपुर (जनपद जौनपुर बार्डर तक) मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	15.26	1727.39	279.07
16	नि0ख0-2 जौनपुर	खुज्जी-मढ़ी-बीरीबारी मझिली मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	10.175	1372.19	221.68
17	प्रा0ख0 बलिया	रतसड़पुर एकईल मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	14.23	1866.36	301.52
18	प्रा0ख0 गोण्डा	धानेपुर दतौली मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	16.15	1477.93	238.76
19	नि0ख0 भवन गोरखपुर	जंगल बब्बन मोहनाग अलगटपुर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	7.600	1795.90	290.13
20	नि0ख0 भवन गोरखपुर	महावनखोर नेतवर बाजार कैम्पियरगंज मार्ग का	अ0जि0मा0	10.50	2018.35	326.07

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य				
21	नि0ख0-3 गोरखपुर	मानीराम बैजनाथपुर नारायणपुर दौलतपुर गुलरिया थाना से तुलसीदेई तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	13.50	1923.82	310.80
22	नि0ख0-3 गोरखपुर	सीहापार से धधसरा तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	10.50	1533.05	247.67
23	नि0ख0-3 गोरखपुर	रामनगर कड़जहा से तरकुलानी रेगुलेटर मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण का कार्य	अ0जि0मा0	8.15	1355.02	218.91
			योग	**328.79**	**49395.38**	**8000.00**

2- उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। कार्य एवं फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो। कार्य को समय से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तगर्त की निर्गत की जायेगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधनों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) स्वीकृत किये जा रहे उक्त कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-1606/दस-2011-11(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक-1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली में जमा की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) उक्त कार्यों पर होने वाले व्यय की तिमाही रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के एक माह के अन्दर भारत सरकार को भेजी जायेगी तथा उक्त कार्य के पूरा होने के उपरान्त लेखापरीक्षा कराकर विधिवत पूर्णतरू प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जाय।

(10) भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के शासनादेश सं0- फा0स0एन0एच0-28014/02/2017/यू0पी0/सी0आर0एफ0/जोन-1, दि0 20.04.2021 में उल्लिखित सभी शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।

(12) प्रायोजनान्तगर्त प्रस्तावित कार्य की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से विभागाध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी0-3/2021/बी-1-325/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2(9)(ग) के प्राविधानुसार अवशेष धनराशि की आगामी किश्ते शासन स्तर से निर्गत की जायेंगी।

(14) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर, पी0एल0ए0 डिपोजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्य पर ही व्यय की जायेगी।

3- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2021-22 के अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-04-केन्द्रीय सडक निधि के अन्तर्गत निर्माण कार्य-0470- मार्गों के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-8-2128-दस-2021-22, दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

<u>संख्या-57/2021/494(1)/23-12-2021तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्रीध्मा0 लोक निर्माण मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।

2- नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त शासनादेश को अपलोड कराने का कष्ट करें ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

5- सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयभारत सरकार, परिवहन भवन-1,ससंद मार्ग, नई दिल्ली को उनके पत्रांक- फा0स0 एन0एच0- फा0स0एन0एच0-28014/02/2017/यू0पी0/सी0आर0एफ0/जोन-1, दि0 20.04.2021 के संदर्भ में।

6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त्/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- केन्द्रीय सहायता अनुभाग, वित्त विभाग।

9- वित्त नियन्त्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8

12- लोक निर्माण अनु0-10

13- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, विकास भवन, जनपथ, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।